



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234794
CG-DL-E-01042022-234794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499]
No. 1499]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सं. 66/2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में संशोधन-अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी और ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर छूट को 30.06.2022 तक बढ़ाना।

का.आ. 1560(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.14 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 30.06.2022 तक बढ़ाया जाता है।
- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.01 (क) के तहत ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 30.06.2022 तक बढ़ाया जाता है।
- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत ईओयू स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 30.06.2022 तक बढ़ाया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.14, पैरा 5.01 (क) और 6.01 (घ) (ii) को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/029/एएम-22/पीसी-4]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

No. 66/2015-20

Subject : Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 - Extension of Integrated Good and Service Tax (IGST) and Compensation cess exemption under Advance Authorisation, EPCG and EOU scheme up to 30.06.2022.

S.O. 1560(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) act 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

1. Exemption from Integrated Tax and compensation Cess under Advance Authorization under Para 4.14 of FTP 2015 -20 is extended upto 30.06.2022.
2. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under EPCG scheme under Para 5.01 (a) of FTP 2015-20 is extended upto 30.06.2022.
3. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under EOU scheme under Para 6.01(d)(ii) of FTP 2015-20 is extended upto 30.06.2022.

Effect of this Notification: Para 4.14, Para 5.01(a) and Para 6.01(d)(ii) of FTP 2015-20 are amended as above.

[F. No. 01/94/180/029/AM22/PC-4]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.